

5/9/19

पत्रावली पेशा हुई। वकील यात्री व स्वयं यात्री हाजिर नहीं।  
बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने  
पर भी ना तो वकील यात्री हाजिर और ना ही यात्री स्वयं  
हाजिर। अतः यात्रीना पत्र अद्वैत निषेधाज्ञा को अदम  
हाजरी अदम पैरवी में रवारीज किया जाता है। पत्रावली  
केमल कुमार होकर नम्बर से कम हो व दारवील  
दफ्तर हो। ~~दस्तावेज~~